राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राज्य सरकार का उपक्रम)

प्लाट न0 2, CoERRA भवन,(चतुर्थ एवं पंचम तल), अरण्य भवन के सामने,
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

नागरिक अधिकार पत्र

(Citizen Charter)

1. प्रस्तावना :-

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन राज्य सरकार के द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा/विदेशी मदिरा और बीयर की सोर्सिंग और वितरण के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया था। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने **राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहिःपान अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम, 1982** के अंतर्गत निगम के डिपोज को विदेशी मदिरा एव ंबीयर के थोक विक्रय का अनुज्ञापत्र जारी किया हुआ है। निगम ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियॉ दिनांक 01.04.2005 से प्रारम्भ की थी। सभी निर्माता/आपूर्तिकर्ता जो राजस्थान में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन बेचना चाहते हैं, वे केवल आर.एस.बी.सी.एल. के माध्यम से ही मदिरा अनुज्ञाधारियों को आपूर्ति कर सकते हैं।

2. दृष्टिकोण :-

राज्य के राजकोष में आबकारी शुल्क आदि राशि का भुगतान कर चुकी भारत निर्मित विदेशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन आदि के मदिरा अनुज्ञाधारियों को वितरण के लिए एक न्यायसंगत, कुशल और पारदर्शी व्यवस्था प्रदान कर सरकारी राजस्व में वृद्धि करना।

3. उद्देश्य :-

- उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं और राज्य सरकार जैसे सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए लगातार काम करने का प्रयास करना। वितरण व्यवस्था में निरंतर सुधार करना।
- सभी हितधारकों के साथ पारदर्शी, ग्राहक अनुकूल, परामर्शात्मक एवं सहभागी तरीके से कार्य करना।
- सम्पूर्ण राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन आदि की कीमतों में एकरूपता रखना।

RajKaj Ref
7652658

Signature valid
Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Executive Director
Date: 2024.05.30 17:54:19 IST
Reason: Approved

- आबकारी शुल्क,अतिरिक्त आबकारी शुल्क का एकमुश्त संग्रहण,परमिट फीस, वैण्ड फीस/सरचार्ज ,वेट आदि को संबंधित से वसूल कर राज्य के राजकोष में जमा कराना।
- निगम में सामग्री प्रबंधन, व्यापार, वित्तपोषण और संबंध प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।

4. कंपनी की प्रमुख नीतिया :–

निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने, निगम की कार्यप्रणाली में एकरूपता/पारदर्शिता लाने तथा राज्य सरकार की आबकारी एवं मद्य संयम नीति की पालना के क्रम में निगम द्वारा Liquor Sourcing & Sales Policy एवं परिपत्र जारी किये जाते हैं जो वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5. निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रदायगी की समय सीमा :– निगम द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी हेतु सामान्य कार्यावधि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

क्रसं	**कार्य**	**प्रकार**	**अधिकतम अवधि**
क	**ब्राण्ड्स के दर अनुमोदन संबंधी**		
1	**आपूर्तिकर्ताओं के ब्राण्ड्स का दर अनुमोदन**		
2	**Online Auto Rate Approval** **(i) If existing brand wants to renew same label or its variant** - At same or lower rate, but not higher than neighboring states and nearby UTs **OR** - At the increased rate, but not higher than neighboring states and nearby UTs. However, if increased rate as per EDP/EBP/EWP/Basic Price is more than neighboring states and nearby UTs, higher rate will be permissible as per Excise Policy. **(ii) If the rate is submitted for a New brand** - Not higher than neighboring states and nearby UTs.	The price will be automatically approved, instantly Real time basis	1 कार्य दिवस तत्काल

RajKaj Ref 7652658

Signature valid
Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Executive Director
Date: 2024.05.30 17:54:19 IST
Reason: Approved

3	- Other Than Above	All remaining rate proposals shall be examined on case-to-case basis, taking into consideration the justification followed by comparative analysis of the cost components	7 कार्य दिवस
ख	**अन्य**		
5	OFS/TOO Extension & Cancellation		3 कार्य दिवस
6	आपूर्तिकर्ताओं का ` Excise Verification Certificate (EVC)		3 कार्य दिवस
	अनुज्ञाधारियों को डिपों से स्टॉक की आपूर्ति		1 कार्य दिवस
	मदिरा/बीयर आपूर्तिकर्ताओं को उनकी स्टॉक राशि का भुगतान		गुरूवार से बुधवार तक की साप्ताहिक स्टॉक बिक्री राशि का भुगतान सामान्यतः आगामी सोमवार को किया जाता है।
च	**ईएमडी–सिक्योरिटी डिपोजिट संबंधी**		
15	ईएमडी रिफण्ड	संबंधित सक्षम अधिकारी	निविदा में असफल रहने की स्थिति मे निविदा फाईनलाईजेशन के 7 दिवस में
16	सिक्योरिटी डिपोजिट रिफण्ड		कार्य के सम्पन्न होने के एक माह ऑडिट

RajKaj Ref 7652658

Signature valid
Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Executive Director
Date: 2024.05.30 17:54:19 IST
Reason: Approved

			के एक सप्ताह में

नोट :–

1. विभाग द्वारा अपनी विभिन्न नागरिक एवं विभागीय सेवाओं को ऑनलाईन, ईन्टीग्रेटेड तथा यथा सम्भव ऑटोमेटेड करने का प्रयास किया जायेगा।

2. उक्त समयावधि सामान्य अधिकतम समयावधि है, जिसमें आवेदक के द्वारा वांछित सूचना या अभिलेख पूर्ति या त्रुटि निस्तारण का समय निहित नहीं है।

6. जनसंपर्क, जन शिकायतों का निवारण :–

निगम के बारे में जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। महत्वपूर्ण समाचार/परिपत्र/नीतियाँ वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, आम जनता सहित सभी हितधारक कार्यालय समय के दौरान किसी भी आधिकारिक मुद्दे पर कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यकतानुसार, लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और पीआईओ की सूची, उनके पते के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक मैनुअल, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत तैयार किया जाकर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

RajKaj Ref
7652658

Signature valid
Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Executive Director
Date: 2024.05.30 17:54:19 IST
Reason: Approved